AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

विकास की राह पर बैगा जनजाति– समीक्षात्मक विवेचना

ORIGINAL ARTICLE

Author
विभाष कुमार झा
सहायक प्राध्यापक, जनसंचार विभाग
अग्रसेन महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भारत में अभी तक विभिन्न अनुसूचित जनजाति समुदायों की विकास यात्रा अपेक्षित रूप से गति प्राप्त नहीं कर सकी है। हालांकि इन जनजातियों का विभिन्न स्तरों पर विकास निश्चित रूप से हुआ है। किंतु अभी ही विकास की गति उस हद तक नहीं बढ़ पाई है जितनी 75 वर्षों में होने की अपेक्षा की गई थी। इस धीमी गति के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इस दौरान 20 और राज्यों में बदलने वाली सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर लागू होने वाली योजनाओं की भी समस्याएं अपनी जगह है। यदि इन सब का समग्र रूप से विश्लेषण किया जाए तो यह समझा जा सकता है कि अभी भी देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाली जनजातीय समुदाय के विकास के लिए द्रुतगति से प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहने वाली बैगा जनजाति के विकास के संबंध में यहां विवेचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है।

मुख्य शब्द

बैगा, जनजाति, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, विकास, विशेष पिछड़ी जनजाति.

प्रस्तावना

बैगा जनजाति मध्यप्रांत के जनजातियों में विशेष स्थान रखता है इस जनजाति के विकास स्तर को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा है। विशेष पिछड़ी जनजाति होने के कारण बैगा जनजाति को सरकार का सरक्षण प्राप्त है जिसके फलस्वरूप इस जनजाति के लिए अनेक शासकीय योजनाये चलाये जा रहें है। बैगा जनजाति जितनी प्राचीन जनजाति है उतनी ही प्राचीन बैगाओं की संस्कृति भी है। बैगा जनजाति अपने संस्कृति को संजोये हुए है। इनका रहन–सहन और खान– पान सादा होता है। बैगा जनजाति के लोग वृक्ष की पूजा करते है तथा बूढ़ा देव को अपना देवता मानते है। बैगा जनजाति के लोग झाड़–फूक एवं जादू–टोना में विश्वास करते है। इनकी वेश–भूषा में बहुत कम कपड़े होते है।

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गोंड, भूमिया आदि समुदायों के साथ निवास करते हैं। इनके घर मिट्टी के होते हैं, जिस पर घास फूस या खपरैल की छप्पर होती है। दीवाल की पुताई सफेद या पीली मिट्टी से करते हैं। घर की फर्श महिलाएं गोबर और मिट्टी से लीपती हैं। इनके घर में अनाज रखने की मिट्टी की कोठी, धान कूटने का ''मूसल'', ''बाहना'', अनाज पीसने का ''जांता'', बांस की टोकरी, सूपा, रसोई में मिट्टी, एलुमिनियम, पीतल के कुछ बर्तन, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, तीर–धनुष, टंगिया, मछली

पकड़ने की कुमनी, ढुट्टी, वाद्ययंत्र में ढोल, नगाड़ा, टिसकी आदि होते हैं।

बैगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में उनकी जनसंख्या जनगणना 2011 में 89744 बताई गई है। राज्य में बैगा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कबीरधाम और बिलासपुर जिले में पाये जाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल जिले में इनकी मुख्य जनसंख्या निवासरत है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

शोध प्रविधि – वैयक्तिक अध्ययन

बैगा जनजाति के विकास के अध्ययन के लिए यहाँ वैयक्तिक अध्ययन प्राविधि को चुना गया है। चूँकि एक ही जनजातीय समुदाय के विकास के विभिन पहलुओं की विवेचना की जानी है, अतः यह प्रविधि सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है । बैगा जनजाति के लिए केंद्र से राज्यों को अतिरिक्त बजट मिलता है। केंद्र की कुछ विशेष योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा, आवास, पेयजल, कृषि, पशुपालन व सिंचाई के साथ स्वास्थ्य सेवाएं आजीविका, संस्कृति व संरक्षण के अलावा डीएड प्रशिक्षण के लिए बजट का प्रावधान है। इसी तरह विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत पांच साल से बजट नहीं दिया गया है। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मतस्य, स्वरोजगार, लघु, निर्माण के लिए हितग्राहियों को सरकार से मदद मिलती है। बैगाओं के विकास के नाम पर राजनीति भी बहुत होती है। मप्र और छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेताओं का कहना है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान बैगा विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया है और योजना संचालित कर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया जाता है, जबकि धरातल में बैगाओं के विकास के लिए सरकार ने कभी भी कुछ नहीं किया है।

जिले के बैगा परिवारों के लिए पिछले 4 साल से बजट पर रोक लगने और बैगा बजट को लेकर अधिकांश जनप्रतिनिधियों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सम्भवतः यह भी विकास के धीमे होने का कारण है। वैसे पीएम आवास का पैसा इन परिवारों को दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं के लिए चलाई जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ विभागों के पास वर्तमान स्थिति में कोई भी बजट उपलब्ध नहीं है। वहीं राज्य का आदिम जाति कल्याण विभाग अपने बजट से कुछ विकास कार्यों को संचालित कर रहा है।

आर्थिक विकास के साधन

छत्तीसगढ़ में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत प्रोत्साहन राशि से अनुमोदित कार्ययोजना अंतर्गत विकास खंड गौरेला के 03 बैगा हितग्राहियों की भूमि / बाड़ी पर (राशि रुपये 75000/– प्रति इकाई के मान से) ट्यूबवेल खनन कर विधुत पम्प स्थापित किया गया जिसमे से निम्न बैगा हितग्राहियों के ट्यूबवेल पर सब्जी उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है. दीपचंद , मंडल सिंह , सरमन सिंह गौरेला क्षेत्र के चुकतीपानी गांव के कृषक हैं। इनके द्वारा पूर्व से देशी पद्धति साग सब्जी की खेती कर भिन्डी, बरबटी, करेला आदि फसलो का उत्पादन किया जाता था, जिसमे लगभग 15–20 हजार की आमदनी होती थी। इस कार्य से बैगा जनजाति परिवार में आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहती थी। इसी तरह मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। यहां देश में संकटग्रस्त आदिवासियों की 72 जातियों में से एक बैगा आदिवासियों को मंगलवार को पहली बार पर्यावास अधिकार (हैबिटेट राइट) प्रमाणपत्र मिले हैं। वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें आदिवासियों की 72 जातियां ऐसी हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर है। इनमें डिंडोरी क्षेत्र की बैगा जनजाति भी शामिल है। इन जातियों को अधिनियम में पर्यावास का भी अधिकार दिया गया है। अन्य जातियों को जमीन का पट्टा और जंगल के उपयोग का अधिकार है।हाल ही में मप्र में बैगा जनजाति के बसाहट वाले सात गांव के लोगों को पर्यावास अधिकार के प्रमाणपत्र दिए गए। अब इस क्षेत्र में सरकार आदिवासियों की अनुमति के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकेगी। देश में यह पहला मौका है, जब विशेष दर्जा प्राप्त आदिवासियों की 72 जातियों में से किसी एक जाति बैगा को पर्यावास अधिकार मिला हो।'

विश्लेषण

छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाये हैं। वन अधिकार पत्र धारकों तथा विशेष रूप से जनजातीय समूह को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिलों के स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। वन अधिकार पत्र अधिनियम, 2006 तथा नियम 2007 (यथा संशोधित नियम 2012) को लागू किये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर बैठकें होती हैं। इसमें वन अधिकार पत्र धारकों को उनके भूमि विकास और अन्य विभागीय योजनाओं को समाहित करते हुए कार्ययोजना बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग ने यह तय किया है कि जिन 17 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास कर रहे हैं, और जिन्हें वन अधिकार पत्र मिल चुके हैं, उन्हें भी मनरेगा से जोड़ते हुए उनके आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए नए कार्य शुरू किये जायेंगे। इसके अलावा सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार–प्राप्त गाँवों में भी गठित सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण और प्रबंधन समिति, इन ग्रामों में गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र पर मनरेगा के तहत स्वीकृत सामुदायिक कार्यों के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रस्तावित अध्ययन में इस प्रकार के विभिन्न कार्यों से लाभान्वित समूहों से चर्चा कर उनके जीवन में आने वाले बदलावों को रेखांकित किया जाना है।

निष्कर्ष

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड़ के 7 बैगा बाहुल्य ग्रामों पर केन्द्रित अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह दर्शाता है कि केन्द्र व राज्य सरकार के तमाम प्रयत्नों के बाद भी बैगा जनजाति मे शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। अध्ययन क्षेत्र मे शिक्षा से जुड़ी अनेक कार्यक्रमो के लागू होने के बाद भी बैगा लोगों मे व्याप्त उदासीनता तथा शिक्षण संस्थाओ मे मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण शैक्षणिक विकास की गति बेहद धीमी है। फिलहाल इस जनजाति के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में निवास करने वाली बैगा जनजाति का अध्ययन करने से यह तथ्य भी उजागर होता है कि इस समुदाय में किसी किसी स्तर पर विकास को इस पर अवश्य किया है। हालांकि इस विकास यात्रा में अभी शिक्षा स्वास्थ्य आदि का रोजगार जैसे विषयों पर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. कुमार गजेन्द्र, अग्रवाल किशोर कुमार, बैगा जनजाति के उत्पत्ति की अवधारणा का ऐतिहासिक विश्लेषण, *International Journal of Advances in Social Sciences* 6(1), 25-29, 2018.
2. यादव अंजलि, गजपाल एल. एस., बैगा जनजाति की शिक्षा की समस्या का अध्ययन, कबीरधाम जिले के विशेष सन्दर्भ में, *Journal of Ravishankar university,* Volume 25, Issue-1, Year 2019.
3. सरकार के पास बैगा जनजाति के लिए नहीं है बजट– मंडला संस्करण दैनिक भास्कर– 03 अप्रैल, 2022।
4. छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी।

––==00==––